भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 957
22.11.2019 को उत्तर के लिए
पॉलिथीन बैग पर प्रतिबंध

957. श्री लल्लू सिंहः
श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीरः
श्री कनकमल कटाराः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में पॉलिथीन बैग/प्लास्टिक, प्लास्टिक की बोतलें, लिफाफे और पैकेजिंग के अन्य सामानों पर पूर्ण प्रतिबंध के संबंध में निर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो इस संबंध में विकसित/सुझाए गए वैकल्पिक तंत्रों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा उक्त प्रतिबंध को उचित रूप से लागू करने के लिए कोई जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे प्लास्टिक के उपयोग पर भारी जुर्माना लगाने का है जिसे पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार सभी पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक को पुन: चक्रित करने का है और यदि हां, तो इस संबंध में प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पॉलिथीन के उत्पादन के संबंध में सरकार द्वारा कोई मानक तय किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन मानकों का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई के प्रावधानों का ब्यौरा क्या है और ऐसे मामलों की कुल संख्या कितनी है जिनमें ऐसे मानकों का उल्लंघन करने पर सज़ा दी गई है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) : मंत्रालय द्वारा "सिंगल-यूज़ प्लास्टिक संबंधी मानक दिशा-निर्देश" जारी किए गए हैं जिनमें सिंगल-यूज़ प्लास्टिक के प्रयोग को कम/न्यूनतम करने हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा कार्यकलापों के सुझाव दिए गए हैं।

मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, उनके प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयों, मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों, सभी मंत्रालयों, केंद्रीय सरकार के कार्यालयों और उसके विभागों, प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, कारपोरेट घरानों, संस्थाओं आदि को पत्र लिखे गए हैं कि वे पानी की बोतलें, साथ ले जाने वाले कॉफी कप, डिस्पोज़ेबल प्लास्टिक पैकेजिंग में रखे गए लंच, प्लास्टिक बैगों, डिस्पोजेबल फूड कंटेनरों, प्लेटों और पॉलीस्टिरिन फोम से निर्मित कंटेनरों, प्लास्टिक स्ट्रॉज़ आदि सहित सिंगल-यूज़ प्लास्टिक उत्पादों को अपने-अपने कार्यालयों में प्रतिबंधित करें। विभिन्न राज्यों में प्रचालित ईको-क्लबों के माध्यम से स्कूलों में "सिंगल-यूज़ प्लास्टिक" के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता सृजन अभियान आरंभ किए गए।

माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर, दिनांक 11 सितंबर, 2019 से तीन चरण में "स्वच्छता ही सेवा" (एसएचएस) अभियान भी शुरू किया गया था, जो दिवाली के दिन अर्थात् 27 अक्तूबर, 2019 को समाप्त हुआ। इस अभियान में अन्य बातों के साथ-साथ जागरूकता, प्रचार-प्रसार, फेंके गए प्लास्टिक के संग्रह और सुरक्षित निपटान पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस अभियान के तहत सभी हितधारकों अर्थात् आम जनता, छात्र, उद्योग जगत, सरकार और स्थानीय निकायों ने मिलकर काम किया और घरों, सड़कों, उद्यानों, समुद्र तटों, बाज़ारों, धार्मिक और पर्यटन स्थलों आदि जैसे सार्वजनिक स्थलों से अपशिष्ट प्लास्टिक को एकत्रित किया।

(ग) से (च) : सरकार द्वारा देश में प्लास्टिक अपशिष्ट को पर्यावरण अनुकूल तरीके से प्रबंधित करने तथा प्लास्टिक से उत्पन्न प्रदूषण की रोक-थाम करने हेतु प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 अधिसूचित किए गए हैं। "प्रदूषक द्वारा क्षतिपूर्ति के भुगतान का सिद्धांत" के संबंध में, नियमों के तहत अपशिष्ट सृजकों को अधिदेशित किया गया है कि वे प्लास्टिक अपशिष्ट के सृजन को न्यूनतम करने हेतु कदम उठाएं, ऐसे अपशिष्ट को इधर-उधर न फेंके, स्रोत पर ही अपशिष्ट का पृथक्करण सुनिश्चित करें और पृथक किए गए अपशिष्ट को स्थानीय निकायों या उनके द्वारा प्राधिकृत एजेंसियों या पंजीकृत अपशिष्ट संग्राहकों या पंजीकृत पुनर्चक्रण केंद्रों को सुपुर्द कर दें। ये प्रावधान भी किए गए हैं कि सभी प्लास्टिक पुनर्चक्रण एजेंसियों को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/समितियों के साथ पंजीकृत किया जाए। प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय को प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण और निपटान सहित उसके संग्रहण, पृथक्करण और प्रसंस्करण के लिए अवसंरचना निर्मित करने हेतु उत्तरदायी बनाया गया है।

नियमों के प्रावधानों के अनुसार, 50 माइक्रोन से कम मोटाई प्लास्टिक बैगों शीटों या वाले इस प्रकार के उत्पादों को प्रतिबंधित किया गया है। सामान रखने, सामान ले जाने, तैयार खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ को रखने या पैकेजिंग करने के लिए प्रयुक्त पुनर्चक्रित प्लास्टिक से निर्मित कैरी बैगों या पुनर्चक्रित प्लास्टिक से निर्मित उत्पादों को भी प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा, गुटखा, तंबाकू और पान-मसाला रखने, पैक करने या बेचने के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक सामग्री से निर्मित पाउचों पर प्रतिबंध लगाया गया है। बहु-स्तरीय प्लास्टिक उत्पादों, जिनका पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता, जिनसे पुन: ऊर्जा उत्पादन नहीं किया जा सकता या जिनका कोई वैकल्पिक उपयोग नहीं है, के प्रयोग को भी चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना है। देश में 4773 पंजीकृत प्लास्टिक विनिर्माण/कम्पोस्ट विनिर्माण/बहु-स्तरीय प्लास्टिक विनिर्माण/पुनर्चक्रण इकाइयां हैं। प्रति दिन लगभग 15,384 टन, जो देश में कुल प्लास्टिक अपशिष्ट सृजन का 60% है, प्लास्टिक अपशिष्ट संगृहीत और पुनर्चक्रित किया जाता है।

नियमों के तहत स्थानीय निकायों को इन नियमों के प्रावधानों को शामिल करते हुए उप-नियम बनाने का अधिदेश दिया गया है। सभी अपशिष्ट सृजकों को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, जैसे अपशिष्ट संग्रहण या पुनर्चक्रण केंद्र का प्रचालन आदि, के लिए स्थानीय निकायों के उप-नियमों में यथाविर्निदिष्ट प्रयोक्ता शुल्क या प्रभार का भुगतान करना होगा। स्थानीय निकायों को यह भी अधिदेशित किया गया है कि वे सभी हितधारकों में उनकी संबंधित जिम्मेदारियों के विषय में जागरूकता पैदा करें।

****